क्रम संख्या–105

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 08 जून, 2012 ई0

ज्येष्ठ 18, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 166/XXXVI(3)/2012/20(1)/2012

देहरादून, 08 जून, 2012

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "**उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा विधेयक, 2012**" पर दिनांक 07 जून, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 02 वर्ष, 2012 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2012}

उत्तराखण्ड राज्य में सभी सरकारी, विभागों, सार्वजनिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, प्रतिष्ठानों, साविधिक प्राधिकरणों, पंचायती राज संस्थाओं, नगरपालिकाओं/नगरीय स्थानीय निकायों, सरकारी समितियों की लेखा परीक्षा की व्यवस्था करने और उसको विनियमित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में,–

(क) **"लेखा परीक्षा"** के अन्तर्गत समवर्ती लेखा परीक्षा, टैस्ट आडिट, शत प्रतिशत लेखा परीक्षा और विशेष लेखा परीक्षा तथा धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों द्वारा लेखा का निरीक्षण सम्मिलित है;

(ख) **"निदेशक"** से धारा 3 के अधीन नियुक्त निदेशक, लेखा परीक्षा (स्थानीय निधि लेखा परीक्षा तथा सहकारिता/पंचायत लेखा परीक्षा को सम्मिलित करते हुए) उत्तराखण्ड अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा अधिकारी भी है, जिसे उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन निदेशक की शक्तियां प्रदत्त की गयी हो;

(ग) **"लेखा परीक्षक"** के अन्तर्गत उसकी सहायता के लिये धारा 3 के अधीन नियुक्त निदेशक और समस्त अन्य अधिकारी भी है;

(घ) **"स्थानीय प्राधिकारी"** से नगरपालिका या नगर निगम, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद, क्षेत्र समिति, गांव सभा या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे स्वायत शासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनार्थ गठित किया गया हो या जो नगर पालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबन्ध करने के लिये विधिमान्य रूप से हकदार हो या जिसे राज्य सरकार द्वारा ऐसा कार्य सौंपा गया हो और इसके अन्तर्गत निगमित या गैर–निगमित कोई सोसाइटी, निकाय या संस्था भी है, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश से स्थानीय प्राधिकारी सूचित किया गया हो;

(ङ) **"विशेष लेखा परीक्षा"** से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के ऐसे लेखा या किसी विनिर्दिष्ट लेखा मद या मदों की श्रेणियों की, जिसमें सर्वांगीण जांच की आवश्यकता है, परीक्षा अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार के आदेश से या विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी (स्थानीय निकाय/सहकारिता/पंचायत लेखा परीक्षा को सम्मिलित करते हुए) के अनुरोध पर की जाए;

(च) **"सांकेतिक लेखा परीक्षा"** से प्रतिवर्ष के वार्षिक लेखा की सामान्य समीक्षा सहित ऐसी लेखा परीक्षा अभिप्रेत है, जो वर्ष के किसी एक या अधिक मास के, जिसका चयन लेखा दल द्वारा अतर्कित रुप से किया जाये;

(छ) **"संवर्ती लेखा परीक्षा"** से समय–समय पर दिन प्रतिदिन के लेखा के कार्योत्तर लेखा परीक्षा और लेखा की सामान्य समीक्षा अभिप्रेत है;

(ज) **"शत प्रतिशत लेखा की परीक्षा"** से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के विशिष्ट लेखा के समस्त संव्यवहारों की कार्योत्तर लेखा परीक्षा अभिप्रेत है;

(झ) **"विहित प्राधिकारी"** से किसी स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कोई अधिकारी या निगमित निकाय अभिप्रेत है;

(ञ) **"स्थानीय निधि"** से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–दो, भाग दो से चार और खण्ड–पांच, भाग–एक में परिभाषित स्थानीय निधि अभिप्रेत है;

(ट) **"अभियाचन"** से स्थानीय प्राधिकारी की लेखा परीक्षा और या उसके निरीक्षण के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित/अधिकृत अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण/सूचना अभिलेख मांगे जाने के लिये निर्गत किये गये पत्र अभिप्रेत है;

(ठ) **"धारा"** से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(ड) **"राज्य सरकार"** से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ढ) **"मुख्य सचिव"** से मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन अभिप्रेत है;

(ण) **"प्रशासकीय विभाग"** से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग उत्तराखण्ड शासन अभिप्रेत है;

(त) **"वित्त विभाग"** से वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन अभिप्रेत है;

(थ) **"वर्ष"** से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(द) **"पुस्तक हस्तान्तरण"** यह वित्तीय संव्यवहारों के ऐसे प्ररूपों पर लागू होता है, जिसमें नगद अथवा गैर–नगद लेखाओं की प्राप्ति जारी किया जाना सम्मिलित नहीं है। ऐसे संव्यवहार सामान्यतया सरकार के दायित्व एवं आस्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो परिनिर्धारण के लिए लेखाओं को प्रस्तुत करते हैं अथवा किसी अन्य कारणों के लिए किन्तु वे शुद्धियों अथवा संशोधनों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि लेखे में पूर्व में ही

लिए जा चुके हैं और सम्बन्धित नगद, कर्मचारिवृन्द अथवा पुस्तकों के अन्तरण से सम्बन्धित है;

(घ) **"सरकारी सेवक"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कि सरकारी सेवा में हो तथा इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले वे व्यक्ति आते है, जिनकी सेवा शर्तों को राज्यपाल द्वारा **'भारत का संविधान'** के अनुच्छेद 309 के अधीन विहित किया जाता है;

(न) **"कार्यालयाध्यक्ष"** से कार्यालय का वरिष्ठतम राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है;

(प) **"विभागाध्यक्ष"** से एक ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो कि राज्य सरकार द्वारा उद्घोषित किया गया हो,

(फ) **"आडिटी"** से ऐसा विभाग, कार्यालय अभिप्रेत है, जिसका आडिट हो रहा है जैसे– विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, आहरण एवं वितरण अधिकारी (स्थानीय निकाय, सहकारिता, पंचायत लेखा परीक्षा को सम्मिलित करते हुए)।

निदेशक और अन्य लेखा परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति

3. (1) लेखा परीक्षा कार्य को सम्पादित करने के लिए एक संगठनात्मक ढांचा बनाया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर, जो उसके द्वारा अवधारित किये जायं, निदेशक और प्रत्येक ऐसे अधिकारी को और उनके कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकती है।

(3) नियुक्त व्यक्ति ऐसे क्षेत्र के भीतर, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें, ऐसे शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उनको प्रदत्त किये जायं।

(4) राज्य सरकार, किसी अधिकारी को, जो प्रथम श्रेणी अधिकारी से निम्न न हो, को निदेशक की शक्तियां प्रदत्त की जा सकती है।

(5) विभिन्न विभागों में आंतरिक लेखा परीक्षा को वित्त विभाग में केन्द्रीयकृत (सेन्ट्रलाइज्ड) किया जायेगा तथा विशिष्ट विभागों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जायेगा।

(6) राज्य सरकार किसी अर्ह कम्पनी, फर्म तथा संस्था/सोसाईटी से आउट सोर्सिंग के माध्यम से आडिट करा सकती है।

लेखा, जिसकी परीक्षा की जायेगी और लेखा परीक्षा फीस का भुगतान का निर्धारण

4. (1) राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचना द्वारा आडिटी को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिनकी लेखा परीक्षा की जानी है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर, ऐसे आडिटी के लेखा की परीक्षा पूर्णतया, ऐसी किसी अधिनियमित में, जिसके द्वारा या अधीन आडिटी का गठन किया

गया है या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित रीति से की जायेगी।

(2) आडिटी, जिसके लेखा की परीक्षा की जानी हो, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार निर्धारित दर पर लेखा परीक्षा फीस का भुगतान करेगा।

(3) राज्य सरकार, समय–समय पर आवश्यक्तानुसार मानव दिवस हेतु शुल्क का निर्धारण/पुनर्निर्धारण कर सकती है। सम्पादित लेखा परीक्षा के लिये शुल्क की गणना लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित मानव दिवस के आधार पर होगी।

लेखा परीक्षा के लिये अभिलेखों को प्रस्तुत किया जाना

5. आडिटी, जिसकी लेखा की परीक्षा की जानी है, लेखा परीक्षा के लिये सभी लेखा विवरणियां, रजिस्टर, पत्रावलियां, और पत्राचार या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज का, जिनकी आडिट दल द्वारा मांग की जाय, प्रस्तुत करेगा या करायेगा।

अभिलेख प्रस्तुत करने और व्यक्तियों से उपस्थित होने के लिये आडिट दल की अपेक्षा करने की शक्ति

6. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी लेखा–परीक्षा के प्रयोजनार्थ कोई आडिट दल–

(क) आडिटी से ऐसे वाउचर विवरणी, लेखा, रजिस्टर, पत्रावली और पत्राचार या लेखा के सम्बन्ध में कोई अन्य दस्तावेज, जिसे आडिट दल प्रभारी उचित समझे, ऐसे स्थान पर जहाँ आडिट दल निदेश दे निर्दिष्ट युक्तियुक्त के समय के भीतर प्रस्तुत करने या कराने की लिखित रूप में अपेक्षा कर सकता है;

(ख) लिखित रूप में–

(एक) आडिटी के किसी ऐसे वेतनिक सेवक से जो ऐसे वाउचर विवरणी, लेखा, रजिस्टर, पत्रावली और पत्राचार या अन्य दस्तावेज के लिये उत्तरदायी हों या जिसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में वे हों, स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है; या

(दो) ऐसे व्यक्ति से, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आडिटी के अधीन किसी कार्य में कोई अंश या हित हो या ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसकी उपस्थिति किसी कठिनाई या परिस्थिति की स्पष्ट करने के लिये आवश्यक हो, स्वयं या किसी प्राधिकृति अभिकर्ता के माध्यम से, आदेश में निदेशित स्थान पर उसके समक्ष उपस्थित होने और किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये अपेक्षा कर सकता है;

(ग) आडिटी के अधीन अधिकारी से ऐसे स्थान पर, जहां लेखे की परीक्षा की जा रही हो या ऐसे अन्य स्थान पर जहां आडिट दल निदेश दे, उससे मिलने और उस बिन्दु को जिस पर स्पष्टीकरण अपेक्षित हो, लिखित रूप में विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) लेखापरीक्षक, उपधारा (1) के अधीन भेजे गये किसी अधियाचन या सूचना में युक्ति–युक्त अवधि निर्धारित कर सकता है, जो कम से कम तीन दिन की होगी, जिसके भीतर उक्त अधियाचन या सूचना का पालन किया जायेगा।

(3) लेखापरीक्षक, आडिटी को जिसके लेखा की परीक्षा की जानी हो, जिस दिनांक से लेखा परीक्षा प्रारम्भ करने का उसका प्रस्ताव हो, उसकी सूचना कम से कम दो सप्ताह पूर्व लिखित रूप में देगा :

परन्तु यह कि लेखापरीक्षक अल्पावधि की सूचना देकर या कोई सूचना दिये बिना, उसके कारणों को अभिलिखित करते हुए लेखा–परीक्षा राज्य सरकार या निदेशक के निदेश पर प्रारम्भ कर सकता है।

(4) लेखापरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राधिकार होगा :–

(क) आडिटी के, लेखों का निरीक्षण करना, जिसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों यथा नकद, मूल्यवान वस्तुओं और स्टोर का भौतिक सत्यापन भी है;

(ख) यह अपेक्षा करना कि ऐसा कोई रजिस्टर, वही, पत्रादि और अन्य दस्तावेज, जो ऐसे संव्यवहार से, जिसकी लेखा परीक्षा करना उसकी सीमा में आता हो, सम्बन्धित या उसका आधार पर हो या अन्यथा उससे सुसंगत हो, ऐसे स्थान पर और ऐसे दिनांक को जिसे वह अपने निरीक्षण के लिये नियत करे, भेज दिये जांय;

(ग) कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछना या ऐसी टिप्पणी करना, जिसे वह आवश्यक समझे और ऐसी सूचना मांगना, जिसे वह लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये या किसी लेखा या रिपोर्ट को, जिसे तैयार करना उसका कर्तव्य है, तैयार करने के लिये अपेक्षा करें।

धारा 6 के अधीन अधियाचन की अवज्ञा करने के लिए शास्ति

7. धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या उपधारा (4) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन विधिपूर्वक की गयी किसी अभिलेखों की अधियाचना की जान बूझकर उपेक्षा करना या उसका पालन करने से इन्कार करने को संदिग्ध सत्यनिष्ठा का प्रकरण माना जायेगा एवं जो व्यक्ति विधिपूर्वक की गयी किसी अभिलेखों की अधियाचना की जान बूझकर उपेक्षा करता या उसका पालन करने से इन्कार करता है के विरूद्ध लागू सेवाशर्तों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट सम्बद्ध आडिटी और कुछ अन्य अधिकारियों और निकायों को भेजी जायेगी

8. (1) लेखा परीक्षा कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से लेखा परीक्षा का परिणाम ऐसे प्रपत्र में और ऐसा विवरण देते हुए, जैसा विहित किया जाय, निम्नलिखित दो भागों, में आडिटी के प्रमुख अधिकारी को संसूचित किया जायेगा; अर्थात्–

(क) सामान्य और महत्वपूर्ण विषयों पर जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उन का विवेचन करने वाली लेखा परीक्षा और निरीक्षण टिप्पणी; और

(ख) आपत्तियों का विवरण पत्र, जिसमें गौण और प्राविधिक अनियमितताओं से सम्बन्धित अशोधित आपत्तियाँ दी गई हों।

(2) लेखा परीक्षा और निरीक्षण टिप्पणी की प्रतियां ऐसे अधिकारियों और प्राधिकारियों को भी भेजी जायेंगी, जिन्हें निदेशक द्वारा आवश्यक समझा जाये।

(3) निदेशक लेखा की एक संहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा या करायेगा और उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जाने के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजेगा।

धारा 8 के अधीन निदेशक की रिपोर्ट के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रकिया

9. (1) धारा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आडिटी का प्रमुख अधिकारी तत्काल कार्यवाही करेगा और उसमें उठाये गये प्रत्येक बिन्दु पर एक मास के भीतर उत्तर लेखबद्ध करेगा, जिसमें उस बिन्दु पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही दर्शित होगा। तत्पश्चात् लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रमुख अधिकारी की टिप्पणी पर समयबद्ध आडिटी की विशेष बैठक में, जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर होगी, विचार किया जायेगा और विनिश्चय किया जायेगा।

(2) आडिटी को यह देखना होगा कि लेखा परीक्षा टिप्पणी और आपत्तियों के विवरण–पत्र में इंगित त्रुटियों और अनियमितताओं का निवारण या निपटारा शीघ्रता और सम्यक् रूप से तत्परता से कर दिया जाय।

(3) आडिटी की टिप्पणी और प्रत्येक बिन्दु पर आडिटी के विनिश्चय सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणीयुक्त प्रति निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी को उपधारा (1) में निर्दिष्ट बैठक होने के एक मास के भीतर भेजी जायेगी। टिप्पणीयुक्त प्रति में प्रत्येक पैरा के सामने अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी पदधारी का नाम और उनके विरूद्ध की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही दर्शित की जायेगी। लेखा परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में आगे पत्र–व्यवहार सीधे आडिटी और निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के बीच किया जायेगा।

(4) आडिटी की टिप्पणी और आडिटी के विनिश्चय सहित लेखा परीक्षा की टिप्पणीयुक्त प्रति प्राप्त होने पर, निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी रिपोर्ट में चर्चित

समस्त या किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में –

(क) आडिटी द्वारा की गयी कार्यवाही को स्वीकार कर सकता है और आपत्तियों का निपटारा कर सकता है; या

(ख) निदेश दे सकता है कि विषय पर अतिरिक्त अन्वेषण अगली लेखा परीक्षा में या किसी और पूर्वतर दिनांक को किया जाय; या

(ग) यह धारण कर सकता है कि रिपोर्ट में इंगित त्रुटियों या अनियमितताओं या उनमें से किसी का निराकरण या प्रतिकार नहीं किया गया है।

(5) (क) यदि यह धारणा है कि रिपोर्ट में इंगित आडिटी के लेखा की किसी त्रुटि या अनियमितता का निराकरण या प्रतिकार युक्तियुक्त समय के भीतर नहीं किया गया है तो निदेशक ऐसे मामले को विहित प्राधिकारी और राज्य सरकार की जानकारी में विशेष रूप से लायेगा और राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी कार्यवाही का निदेश दे सकती है, जो आवश्यक समझी जाय;

(ख) लेखा परीक्षा कार्य में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, प्रशासकीय विभाग तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर आडिट कमेटी का गठन किया जायेगा। गठित आडिट कमेटी की नियमित रूप से बैठक आयोजित करके प्राप्त आडिट रिपोर्टों का रिव्यू किया जायेगा। सरकारी धन के दुरूपयोग, गबन, जालसाजी, जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा, ताकि दोषी व्यक्तियों को समय से दण्डित किया जा सके;

(ग) यदि कमेटी के समाने आडिट रिपोर्ट में सरकारी धन के दुरूपयोग (Misappropriation) के प्रकरण सामने आते हैं, तो उनकी छानबीन कर उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही की जायेगी। राजकीय धन की क्षति की तुरन्त वसूली किये जाने के प्रयास किये जायेंगे। कृत कार्यवाही से वित्त विभाग को अवगत कराया जायेगा;

(घ) आडिटी लेखा–परीक्षा आपत्तियों और निरीक्षण प्रतिवेदनों के निपटारे में हुई प्रगति पर सतर्क होकर नजर रखेंगे और प्रशासकीय विभाग द्वारा उस सम्बन्ध में, जो भी सूचना मांगी गई हो उसे तुरन्त भेजेंगे;

(ड़) विभाग में विचाराधीन सभी लेखा परीक्षा आपत्तियों और निरीक्षण प्रतिवेदनों के निस्तारण के लिये विभागीय अधिकारियों की नियत कालिक बैठकें भी बुलाई जायेगी और उनके परिणाम से प्रशासकीय विभाग को अवगत कराया जायेगा।

निदेशक द्वारा अवैध भुगतान या घोर उपेक्षा या दुराचरण के कारण हुई हानि पर अधिभार लगाया जाना

10. (1) यदि सम्बद्ध व्यक्ति को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् निदेशक का समाधान हो जाय कि आडिटी के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग अपचारी व्यक्ति के दुराचरण या उसकी ओर से घोर उपेक्षा के कारण हुआ है, या यह कि उक्त व्यक्ति ऐसा पक्ष है, जो अवैध भुगतान करता है या ऐसा भुगतान करने के लिये प्राधिकृत करता है, तो निदेशक, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह आडिटी को विनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व ऐसी धनराशि, जो आडिटी को उसके धन या सम्पत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग की प्रतिपूर्ति करने के लिये न्याय संगत और साम्यपूर्ण पायी जाय, उस पर ब्याज सहित भुगतान करें :

परन्तु यह कि किसी आडिटी के किसी प्रमुख अधिकारी, सदस्य या सेवक के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन अधिभार का कोई आदेश ऐसे धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग होने के दिनांक से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके आडिटी के प्रमुख अधिकारी, सदस्य या सेवक न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जो भी पश्चातवर्ती हो, नहीं दिया जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग किसी आडिटी या उसकी किन्हीं समितियों या उप समितियों के किसी संकल्प के परिणामस्वरूप हुआ हो तो वसूल की जाने वाली हानि की धनराशि को समस्त सदस्यों में, जिसके अन्तर्गत ऐसे पदाधिकारी भी हैं, जिनके सम्बन्ध में आडिटी या उसकी समितियों या उपसमितियों के कार्यवृत्त में यह सूचना हो कि उन्होंने ऐसे संकल्प के सम्बन्ध में मत दिया था या वे तटस्थ रहे, बराबर–बराबर बांट दिया जायेगा :

परन्तु यह भी कि अतिक्रमित स्थानीय निकायों/सहकारिता/पंचायत लेखा परीक्षा की स्थिति में यदि धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग प्रशासक या प्रभारी अधिकारी की जो सरकारी सेवक हो, किसी कार्यवाही के कारण हुआ हो तो मामले की सूचना निदेशक द्वारा राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिये दी जायेगी :

परन्तु यह और भी कि किसी मृत अपचारी व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की सम्पत्ति की उस सीमा तक होगा, जो ऐसे विधिक प्रतिनिधि को प्राप्त हुई हो।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय की एक प्रति दी जाय, उसे लेने से इन्कार करे तो यह समझा जायगा कि उसने उस दिन प्राप्त कर लिया है, जिस दिन उसने प्रति लेने से इन्कार किया था।

(3) यदि वह अन्तिम आदेश के समय उपलब्ध न हो तो उसके प्रवर्ती भाग सहित उसका सारांश उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे भेज दिया जायेगा या उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर चिपका दिया जायगा और उस परिक्षेत्र में डुग–डुगी पिटवाकर उसकी उद्घोषणा की जायगी और इससे यह उपधारणा की जायगी कि उसे सम्यक् रूप से तामील किया गया है।

अधिभार के आदेश के विरूद्ध अपील

11. (1) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को विहित रीति से अपील कर सकता है।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवाई करते समय ऐसी प्रकिया का अनुसरण करेगी, जैसी विहित की जाय।

(3) राज्य सरकार द्वारा उक्त अपील पर दिया गया आदेश अन्तिम होगा।

भू–राजस्व के बकाये के रूप में प्रभार की वसूली

12. यथास्थिति, धारा 10 या धारा 11 के अधीन अधिभार के आदेश में उल्लिखित धनराशि का भुगतान अधिभारित व्यक्ति द्वारा आदेश के दिनांक से साठ दिन के भीतर किया जायगा और यदि उसका भुगतान नहीं किया जाय तो उसे निदेशक के आवेदन–पत्र पर कलेक्टर द्वारा भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायगा और आडिटी की निधि में विहित रीति से जमा किया जायगा।

प्रभार आदि का भुगतान

13. धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन आडिट दल द्वारा या धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन निदेशक द्वारा की गयी किसी अधियाचन के अनुपालन में आडिटी द्वारा किया गया समस्त व्यय उस आडिटी की निधि से देय होगा।

निदेशक, आडिट दल, आदि लोक सेवक होंगे

14. निदेशक और उसके अधीन कार्यरत और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन शक्ति का प्रयोग करने वाले या प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी और आडिट दल भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक होंगे।

वाद पर रोक

15. जैसा कि इस अधिनियम में उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा विधिक रूप से दिये गये किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिये किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जायेगा या अन्य कार्यवाही नहीं की जायगी।

सद्भाव से किए गये कार्यों का संरक्षण

16. राज्य सरकार, निदेशक या किसी अन्य अधिकारी, आडिट दल या निदेशक के अधीनस्थ कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से किया गया हो या किये जाने के लिये तात्पर्यित हो।

लेखापरीक्षक द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण

17. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों में से ऐसे व्यक्तियों को आडिट अधिकारी, आडिट प्रभारी नियुक्त कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझें और उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमायें परिनिश्चित कर सकती है।

(2) इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए कोई अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर–

(क) निदेशक, लेखापरीक्षक या लेखा परीक्षा की कार्यवाहियों के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति के आदेश से उचित समय पर सर्वदा किसी परिसर या स्थान में सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की ऐसी सहायता से यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे और जो निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुमोदित हो, लेखा परीक्षा की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में किसी रजिस्टर या अभिलेख या पत्रादि की जांच करने के प्रयोजनार्थ प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण के लिये उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) सूचना प्राप्त करने के लिये उसी स्थल पर किसी व्यक्ति से प्रतिप्रश्न कर सकता है;

(ग) अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसे अभिलेख या पत्रादि को, जो आवश्यक हो, अभिग्रहीत कर सकता है या उनकी प्रतियाँ ले सकता हैं या उन पर हस्ताक्षर कर सकता है;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जो विहित की जांय।

विविध

18. इस अधिनियम के अधीन किसी परीक्षा या लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये निदेशक या आडिट दल और अपील के प्रयोजन के लिये अपील प्राधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) कमीशन जारी करना;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाय।

अपवाद

19. (1) अधिभार से सम्बन्धित किसी ऐसी कार्यवाही का, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विचाराधीन हो, निस्तारण और किसी ऐसी कार्यवाही में पारित आदेश का प्रवर्तन, उस विधि के अनुसार इस प्रकार किया जायगा मानों इस अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं थे।

(2) जैसा कि उपधारा (1) में उपबन्धित है उसके सिवाय, ऐसे किसी आडिटी के सम्बन्ध में जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अधिभार से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सम्पन्न और निस्तारित की जायंगी।

नियम बनाने की शक्ति

20. (1) राज्य सरकार, लेखा सम्परीक्षा कार्य में सम्बद्ध स्टाफ को लेखा सम्परीक्षा की अवधारणा के आवश्यक और उसके संचालन के व्यवहारिक ज्ञान से सज्जित कर सरकार में आन्तरिक लेखा सम्परीक्षा के उन्नयन और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम/मैनुअल बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिये व्यवस्था की जा सकती है; अर्थात्–

(क) ऐसे आडिटी को, जिसके लेखा की परीक्षा निदेशक द्वारा की जानी है, अधिसूचित करने का कार्य विनियमित करना;

(ख) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन लेखा परीक्षा के लिये आडिटी द्वारा भुगतान की जाने वाली लेखा परीक्षा फीस की दर और उसके भुगतान और उसकी वसूली की रीति;

(ग) प्रपत्र, जिसमें और रीति, जिसके अनुसार लेखा सम्परीक्षा के लिये प्रस्तुत किय जायगा;

(घ) आडिट दल को शक्तियां और कर्तव्य और लेखा परीक्षा करने के लिये अनुसरण कं जाने वाली प्रक्रिया और वह समय जब और स्थान जहाँ पर ऐसी लेखा परीक्षा व जायगी;

(ङ) निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य;

(च) अधिभार के सम्बन्ध में जांच, अपली और वसूली;

(छ) आडिट दल द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण।

निरसन और अपवाद

21. (1) उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 वर्ष 1984) (उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 166/XXXVI(3)/2012/20(1)/2012
Dated Dehradun , June 08, 2012

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Audit Act, 2012' (Adhiniyam Sankhya 02 of 2012).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 June, 2012.